भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2968
दिनांक 18 मार्च, 2025

कीट प्रतिरोधी बीजों की वर्तमान स्थिति

2968. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कीट प्रतिरोधी बीजों का ब्योरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि इसके अनुमोदन के अभाव में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ग) कीट प्रतिरोधी बीजों को तत्काल स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) किसानों को आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में अब तक कई किसान फसल और खरपतवार प्रबंधन में विफलता के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार के पास इन कदमों के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक नीति या कार्यक्रम है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरईएस) के तहत निर्धारित मानदंडों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार फसल आधारित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) द्वारा स्थान विशिष्ट उच्च पैदावार वाली किस्मों/बीजों का विकास एक निरंतर प्रक्रिया और नियमित रूप से संपादित किया जाने वाला कार्यकलाप है। इस प्रकार विकसित की गई किस्मों/ बीजों को 'कृषि फसलों से संबंधित फसल मानक, अधिसूचना और किस्म रिलीज पर उप-समिति' द्वारा गहन जांच के बाद भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित

किया जाता है। पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान स्थान विशिष्ट उच्च पैदावार वाली फील्ड फसलों की कुल 2900 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से नाशीजीव/ रोगों के संबंध में प्रतिरोधी/ सहिष्णुता वाली किस्मों/ बीजों (कोष्ठक में) सहित अधिसूचित किस्मों/बीज, फसल-वार किस्मों/ बीजों का विवरण निम्नवत है: चावल 668(588); गेंहू 178(168); जौ 21(13); मक्का 239 (229); ज्वार 78(68); बाजरा 81(75) अन्य श्रीअन्न 115 (95) ; दलहन 437 (402) ; तिलहन 412 (342) ; रेशा फसलें 376 (345) ; चारा फसलें 178 (147); गन्ना 88(83) तथा अन्य फसलें 29(19)। इन बीजों को किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज की आगामी आपूर्ति के लिए बीज श्रृंखला में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, कीट-नाशीजीव संक्रमण के कारण हानियों को कम करने के लिए तथा कीट-नाशीजीवों के नियंत्रण के लिए अनेक प्रक्रिया संबंधी पैकेज की संस्तुति की गई है जिनके मार्फत किसानों द्वारा कीट-नाशीजीवों के प्रकोप को नियंत्रित किया जा रहा है।

(घ) एवं (ङ) भारत सरकार द्वारा उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आबंटन और फसल प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के मार्फत ग्राम स्तर पर विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं जिनमें प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, नमो (एनएएमओ) किसान योजना और एकीकृत फसल प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी आय (रिटर्न) और किसानों की आय में सहायता प्रदान करना शामिल है। भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आबंटन में व्यापक रूप से वृद्धि करके इसे वर्ष 2024-25 के लिए 1,22,528.77 करोड़ रूपये (बीई) कर दिया है जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रूपये (बीई) था। किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं से संबद्ध आंकड़े/विवरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा रखे जाते हैं।

(च) एवं (छ): इन विकसित की गईं खेत फसलों की 2900 किस्मों में से 2661 किस्में (अनाज 1258; तिलहन 368; दलहन 410; रेशा फसलें 358; चारा फसलें 157; गन्ना 88 और अन्य फसलें 22) एक या अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति सहिष्णु हैं। इनमें से 537 किस्मों को सटीक फेनोटाइपिंग टूल्स का उपयोग करके विशेष रूप से जलवायु की चरम स्थितियों के लिए विकसित किया गया है।

विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त मांगों के अनुसार इन किस्मों के प्रजनक और गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास किए गए हैं। किसानों को बीज की शीघ्र आपूर्ति के लिए रबी 2024-25 से पर्याप्त गुणवत्ता वाले प्रजनक बीज उत्पादन और खरीफ 2025 के लिए प्रसंस्करण की योजना बनाई गई है। किसानों को बीज की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए वर्ष 2014 से कुल 11.85 लाख क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया है और इसकी विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीज एजेंसियों को आधारीय (फाउंडेशन) और प्रमाणित बीजों के डाउनस्ट्रीम प्रगुणन के लिए आपूर्ति की गई है। कुल बीज आपूर्ति में 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है।

इन किस्मों के बारे में बीज उत्पादन एजेंसियों और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इन उन्नत फसल किस्मों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन नियमित रूप से पूरे देश में आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किसानों के समक्ष इन उन्नत फसल किस्मों का प्रदर्शन करते हैं। विकसित किस्मों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विभागों, दूरदर्शन, मोबाइल ऐप जैसे आईसीटी उपकरणों आदि के माध्यम से किसानों के बीच प्रसारित किया जाता है।

भारत सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के घटक, बीज ग्राम कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य गांव में किसानों को जलवायु-अनुकूल, जैव-प्रबलित और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधारीय/प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता अनाजों में बीज लागत का 50% और तिलहन, चारा व हरी खाद फसलों में प्रति किसान एक एकड़ के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए 60% है। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दी गई है।

****